

कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या: 33 / प0-2 / 3डी-59 / चारा / रा0यो0 / 2015-16,

दिनांक: 19/02/2016

शासनादेश संख्या-9 / 2016 / 3398 / सैंतीस-2-2015-1(42)2014, दिनांक  
19 फरवरी, 2016 की पृष्ठांकन प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

- 1- समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि शासनादेश में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें, प्रकरण में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।
- 2- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि अपने अधीनस्थ मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों से शासनादेश में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- प्रमुख सचिव, पशुधन उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

  
(डा0 राजेश बाबू वार्ष्णैय)  
निदेशक,  
प्रशासन एवं विकास।

प्रेषक,

चन्द्र कान्त पाण्डेय,  
विशेष सचिव,  
उOप्रO शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
प्रशासन एवं विकास,  
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-19 फरवरी, 2016

विषय:- प्रदेश के पशुपालकों को पशुओं के लिए पौष्टिक चारा खिलाकर पशु उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अपौष्टिक चारे एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-517/प-2/3डी-59/चारा/राOयोO, दिनांक-07.12.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के पशुपालकों को पशुओं के लिए पौष्टिक चारा खिलाकर पशु उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अपौष्टिक चारे एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना पर निम्नवत निर्णय लेते हुए स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1- योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा जनपद में पदस्थ पशु चिकित्साधिकारियों के सहयोग से संचालित की जायेगी। योजनान्तर्गत प्रदेश की समस्त 59163 ग्राम पंचायतों में से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में 41250 ग्राम पंचायतों में प्रति ग्राम पंचायत 01 लाभार्थी को लाभान्वित कराया जायेगा। अवशेष चयनित लाभार्थियों को अग्रिम वित्तीय वर्षों में लाभान्वित कराये जाने का प्रस्ताव है।

2- प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत से 01 इच्छुक लघु/सीमान्त पशुपालक, जो कम से कम दो बड़े दुधारू पशु पालता हो, का ही चयन किया जायेगा। प्रदेश के अल्पसंख्यकों की भागीदारी शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित करायी जायेगी।

दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से योजना का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। लाभार्थियों का चयन मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सदस्य/सचिव, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित सदस्य तथा सम्बन्धित पशु चिकित्सा अधिकारी सदस्य होंगे, के द्वारा किया जायेगा। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में आये प्रस्ताव एवं उपयुक्त निर्धारित पात्रता के आधार पर किया जायेगा।

14- योजनान्तर्गत लाभार्थी को नकद धनराशि नहीं दी जायेगी। लाभार्थी को विभाग द्वारा निम्न सामग्री क्रय कर निःशुल्क वितरित की जायेगी:-

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 1- लोअर प्लास्टिक शीट (आकार 90" x 60")     | - दर रू0 300.00 |
| 2- अपर प्लास्टिक शीट (आकार 102" x 72")     | - दर रू0 390.00 |
| 3- 10 लीटर क्षमता वाला स्पिंकलर            | - दर रू0 550.00 |
| 4- यूरिया उपचार सम्बन्धी तकनीकी निर्देशिका | - दर रू0 35.00  |

योग-

रू0 1275.00

सामग्री को क्रय करने के लिए निदेशालय स्तर से दरों का निर्धारण किया जायेगा ताकि प्रदेश भर में सामग्री की दरों में किसी प्रकार का विचलन न हो सके। इस प्रकार प्रति लाभार्थी को दी जाने वाली सामग्री का मूल्य ₹0-1275.00 अनुमानित है जो कि 100 प्रतिशत (निःशुल्क) अनुदान पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा यूरिया एवं भूसे की व्यवस्था लाभार्थी/पशुपालक द्वारा स्वयं की जायेगी।

- 5- प्रदेश में 59163 ग्राम पंचायतें हैं। प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में प्रति ग्राम पंचायत 01 लाभार्थी की दर से कुल लाभार्थियों की संख्या 59163 होगी। इस प्रकार योजना पर ₹0 59163 x ₹0 1275.00 = ₹0 754.32825 लाख का कुल व्यय अनुमानित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपलब्ध धनराशि ₹0-525.94 लाख से 41250 ग्राम पंचायतों में प्रति ग्राम पंचायत 01 लाभार्थी की दर से 41250 पशुपालकों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।
- 6- यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत भूसे को उपचारित करने में अनुदानित यूरिया का प्रयोग न हो सके।
- 2- कृपया प्रश्नगत योजना के सुचारु रूप से संचालन हेतु उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
(चन्द्र कान्त पाण्डेय)  
विशेष सचिव।

पू0सं0-9/2016/3398(1)/सैंतीस-2-2015- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त/नियोजन/कृषि विभाग।
4. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(रणविजय सिंह)  
उप सचिव।